न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— सीमा खेतान (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2025	11.03.2025	16.07.2025

1. गणेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी मेई खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादी

बनाम

1. योगेश कुमार दत्तक पुत्र स्वामी हरिहरानन्द त्यागी बैरवी निवासी श्रीसुरतुपरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0।
2. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा गण्डार तहसील खण्डार।
3. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

प्रतिवादीगण

वादपत्र घोषण एवं निरस्त किये जाने तरमीम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

श्री हजारी लाल बैरवा, नागाराम मीना अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।
   - वादी राजस्व ग्राम मेईखुर्द का का मूल निवासी होने के साथ—साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति है।
   - वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की पैतक कृषि भूमि राजस्व ग्राम मेई खुर्द तहसील खण्डार के हाल खाता संख्या 38 जमाबन्दी सम्बत 2074से सम्बत् 2077 में अंकित खसरा नम्बर 260/13 रकबा 2 बीधा 5 विस्वा ख0नं0 261 / 13 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा ख०न० 278/13 रकबा 2 बीधा 17 विस्वा, ख० नं० 279/13 रकबा 1 बीधा 16 विस्वा किस्म बा० 3 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीधा 8 विस्वा वादी के नाम से दर्ज है । राजस्व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है ।
   - राजस्व ग्राम मेई खुर्द मे स्थित ख्श०नं० 13 की ट्रेस शीट मे तरमीम भी नही हो रही है। वादी के भौतिक कब्जे की भूमी एक चक के रूप में ग्राम मेई खुर्द मे स्थित है। जिसकी वर्तमान सीमाये बाद पत्र के साथ संलग्न नजरी में दर्शा रखी है, जो इस प्रकार से है।
     पूर्व मे —हेमराज का खेत, पश्चिम मे — रामदयाल छोटू का खेत, उत्तर छोटूलाल, हेमा का खेत एंव दक्षिण मे कमाखरी जाने वाला रास्ता रोड (सडक) है।
   - वादी ने खाता संख्या 38 मे अंकित कृषि भूमी के चारो और 30 वर्ष से तारो की फेसिंग गड्डू गाडकर लोहे का जाल लगा रखा है एंव 25 वर्ष से ट्यूब वैल खुदवाकर बिजली का कनेक्शन ले रखा है। बिजली के बिल वाद पत्र के साथ संलग्न है।
   - राजस्व ग्राम मेई खुर्द में स्थित ख0नं0 13 मे स्थित कृषि भूमी हाल खाता संख्या 6,14,38,40,70,72,85, 95, 102, 132, 141,156, 163, 165, 169, 171, 175, 181, 197, 207, 209, 216, 217, 220, 232, 234, 253, 259, 266, 275, 282, 283, 285,

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०))

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

290, 291 मे कुल रकबा 268 बीघा 8 विस्वा भूमी राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है ।

- राजस्व ग्राम मेई खुर्द के हाल खाता संख्या 175 में अंकित कृषि भूमी ख0नं0 214/12रकबा 10 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 259/13 रकबा एक बीघा 9 विस्वा, ख०न० 280/13 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, ख०न० 358/13 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, कुल किता 18 बीघा 16 विस्वा, राजस्व जमाबंदी सव 2074 से 2077 मे प्रतिवादी के नाम से दर्ज है । खाता सख्या 175 मे अंकित कृषि भूमी पर प्रतिवादी सं० एक का मौके पर एक इच भमी पर कभी कब्जा कास्त भी नहीं रहा क्योकि प्रतिवादी सं0 1 ने हरिहरानन्द त्यागी का फर्जी वारिस बनकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करवाया है । प्रतिवादी सं0 एक ग्राम मेई खुर्द का मूल निवासी भी नही है।
- यह कि प्रतिवादी स0 1 ने पटवारी हल्का योगेन्द्र मोहन दुबे से मिलकर ख0न0 12 मे अकित ख0नं0 214/12 रकबा 10 बीघा 8 विस्वा, एव ख0नं0 13 मे अंकित ख0नं0 259/13 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, ख0नं0 280/13 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा ख0नं0 358/13 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 16 विस्वा की ट्रेस शीट मे तरमीम वादी के भौतिक कब्जे की भूमी मे करवाकर वादी के कब्जे की भूमी को हड़पने के उद्देश्य से करवाई है। जबकि सम्पूर्ण ग्रामवासीयो को यह जानकारी है कि प्रतिवादी का खसरा नम्बर 12 व 13 मे एक इंच भूमी पर कभी भौतिक कब्जा भी नही रहा ।
- यह कि वादी द्वारा श्रीमान् जी की सेवामे पटवारी हल्का मेई खुर्द के विरूद्ध दिनांक 4.4.24 को की गई शिकायत की जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.7.24 से स्पष्ट है कि विवादित भूमी वादी के भौतिक कब्जे की भूमी हाल खाता संख्या 38 मे अकित कृषि भूमी ख0नं0 260/13 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा, ख0नं0 261/13 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा, ख0नं0 278/13 रकबा 2 बा 17 विस्वा, ख0नं0 279/13 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा कुल किता 4 कुलरकबा 15 बीघा 8 विस्वा को हड़पने के लिये ही पटवारी हल्का ने व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किये जाने के इन्द्राज जॉच रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से तहरीर किया गया है । जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.7.24 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है ।
- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का योगेन्द्र प्रसाद दुवे द्वारा राजस्व ट्रकस शीट मे एक पक्षीय रूप से किसी भी खातेदार को बुलाये बिना की गई तरमीम को निरस्त करवाये जाने के लिये वादी की ओर से न्यायाल य हाला की शरण लेकर भौतिक कब्जे की घोषणा के साथ साथ फर्जी तरमीम को निरस्त करते हुए मुताबिक भौतिक कब्जे के अनुसार वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने के लिये न्यायालय हाजा की शरण लेकर वादी की ओर से दावा प्रस्तुत करना लाती हो गया है ।
- यह कि विवादित भूमी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त यह कि उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे पटवारी हल्का द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना की गई तरमीम की जॉच रिपोर्ट दिनांक 26.7.24 से फर्जी सावित होने के कारण वाद पत्र अंदर मियाद पेश है ।
- यह कि प्रतिवादी सं0 1 ने बिना भौतिक कब्जे के खाता सं0 175 मे अंकित भूमी को सेंट्रल बैक ऑफ इण्डिया शाखा गण्डावर के यहाँ रहनरख दी है इसलिये शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया को पक्षकार बनाया जा रहा है ।

उपखण्ड अधिकारी

खण्डार (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार

- यह कि तहसीलदार लैण्ड होल्डर होने के साथ साथ राजस्व अभिलेख के अनुसार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार रा०मा० से ही तलब किये जाने के कारण तहसीलदार खण्डार को पक्षकार बनाया गया है ।
- यह कि वाद पत्र अंदर मियाद एंव निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है ।
- यह कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे ।

  (क) यह कि घोषणा हस्तकरार ह कइरा अमर का फरमाया जावे कि वाके ग्राम मेई खुर्द तहसील खण्डार के हाल खाता सं० 38 मे अंकित कृषि भूमी ख०नं० 260/13 रकबा 2 बीधा 5 विस्वा, ख०नं० 261/13 रकबा 8 बीधा 10 विस्वा, ख०न० 278/13 रकबा 2. बीधा 17 विस्वा, ख०न० 279/13 रकबा 1 बीणा 16 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीधा 8 विस्वा किस्म बा० 3 की वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ट्रेस शीट मे तरमीम किये जाने की घोषणा की जावे ।

  (ख) यह कि पटवारी हल्का योगेन्द्र मोहन दुबे द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश की बिना एंव खाता संख्या 175 मे अंकित कृषि भूमी की एव बिना भौतिक कब्जे की ट्रेस शीट मे की गई तरमीम को निरस्त की जावे।

  (ग) यह कि राजस्व ग्राम मेई खुर्द के हाल खाता संख्यझ 175 मे अंकित कृषि भूमी पर प्रतिवादी सं० 1 का कभी भी भौतिक कब्जा कास्त नही होने के कारण खाता संख्या 175 मे दर्ज इन्द्राज को अपास्त फरमाया जावे ।

  (घ) यह कि अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित मे वादी को दिलाई जावे ।

2. वादी का वादपत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किये जाने पर उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य सबूत हेतु शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य पूर्ण होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. वादी वकील द्वारा पत्रावली में अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुए अवगत कराया गया है कि वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 किता 4 रकबा 15–8 बीघा वांके ग्राम मेईखुर्द पर बिना किसी सक्षम अधिकारी व आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर 214/12, 259/13, 280/13, 358/13 की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा पुख्ता तरमीम की गई। पटवारी हल्का को नक्शा शीट में पुख्ता तरमीम किये जाने का अधिकार नहीं है। वादी के कब्जे के समर्थन में दिनांक 26.07.2024 को पटवारी हल्का मेई खुर्द व तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी का कब्जा 50 वर्षो से कमोखरी रोड़ पर स्थित भूमि पर रहा है। जिसकी तरमीम प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बिना किसी कब्जे के व विना किसी आदेश के पुख्ता तरमीम की गई है। वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अतिकमण करना चाहता है। वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर हो रही गलत तरमीम को निरस्त की जाकर वादी के कब्जे अनुसार नये सिरे से तरमीम किये जाने आदेश प्रदान फरमाया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं पटवारी हल्का मेईखुर्द द्वारा प्ररतुत रिपोर्ट का मनन किया गया। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 किता 4 रकबा 15–8 बीघा वांके ग्राम मेईखुर्द के स्थान पर पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी आदेश के प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 214/12, 259/13, 280/13, 358/13 किता 4 रकबा 18–16 बीघा वांके ग्राम मेईखुर्द का राजस्व नक्शा सीट में गलत तरमीम करने का कथन किया गया है, वादी की

उपखण्ड अधिकारी (स.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

खातेदारी भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादी की खातेदारी भूमि का कब्जा अनुसार नक्शा सीट में तरमीम गलत होना बताया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज दिनांक 26.07.2024 को पटवारी हल्का मेईखुर्द व तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13, 364/13 किता 5 रकबा 17–19 बीघा वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी खसरा नम्बर की नक्शा सीट में खसरा नम्बर 364/13 को छोडकर तरमीम की गई है। उक्त तरमीम शुदा आराजी खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 पर मौके पर वादी का कब्जा नहीं होना बताया गया। मौके पर वादी नक्शा सीट में की गई तरमीम का खसरा नम्बर 214/13, 231/13, 358/13, 358/13, 280/13, 259/13 पर 50 वर्षो से कब्जा काश्त होना बताया गया है। जो लिंक रोड कमोखरी पर स्थित होना अंकित है। उक्त विवादित भूमि का पुख्ता तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी के होना अंकित है। पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार खण्डार के द्वारा विवादित भूमि का मौके देखा जाने पर ग्राम मेईखुर्द का मूल आराजी खसरा नम्बर 12 व 13 एक बड़ा खसरा नम्बर है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 व प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 214/12, 259/13, 280/13, 358/13 बिना किसी सक्षम अधिकारी व आदेश के किये की तरमीम को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझती हूँ।

आदेश

5. वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मेई खुर्द में स्थित आराजी खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 व खसरा नम्बर 214/12, 259/13, 280/13, 358/13 की तरमीम बिना किसी सक्षम अधिकारी व आदेश के किये जाने पर निरस्त की जाती है। वादी की खातेदारी भूमि वांके ग्राम मेईखुर्द के खसरा नम्बर 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 की नये सिरे से मौके एवं रिकार्ड के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेश की एक प्रति भिजवाई जाकर आदेशित किया जाता है कि वे विवादित खसरा नम्बरों 260/13, 261/13, 278/13, 279/13 वांके ग्राम मेईखुर्द की तरमीम नये सिरे से मौके एवं रिकार्ड के अनुसार किया जाकर नई तरमीम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)